पत्र संख्या -आई0टी0-सर्वर-अनुरक्षण / (2012-2013) / 83 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
दिनांक : लखनऊ 26 अप्रैल,2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या आई0टी0/हार्डवेयर अनुरक्षण/2010-11/1004/वाणिज्य कर दिनांक 22-02-2011 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि विभाग द्वारा विगत वर्षों में जो कम्प्यूटर हार्डवेयर/उपकरण क्रय किये गये थे उनमें से आई0बी0एम0 सर्वर एवं इसके यू0पी0एस0 को छोड़कर शेष उपकरणों का अनुरक्षण वारन्टी अवधि समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा ही स्थानीय स्तर पर कराया जाय।

2. मुख्यालय पर दिनांक 12-04-2012 को हुई बैठक में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) नोएडा द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि क्या उक्त कम्प्यूटर उपकरणों का अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (Annual Maintenance Contract) के आधार पर कराया जा सकता है क्यों कि AMC के आधार पर अनुरक्षण कराये जाने पर उपकरणों की मरम्मत में शीघ्रता होती है तथा कुल मिलाकर यह व्यवस्था मितव्ययी भी रहती है। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) नोएडा द्वारा इस सम्बन्ध में मुख्यालय से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि उपकरणों की वारन्टी अवधि समाप्त होने पर सर्वर व यू0पी0एस0 को छोड़कर शेष उपकरणों का अनुरक्षण सुसंगत वित्तीय नियमो की परिधि में वार्षिक अनुरक्षण अनुबंन्ध के आधार पर कराया जा सकता है। यह कार्यवाही जोन के समस्त जनपदों के लिए जोनल स्तर पर संपन्न की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर उपकरणों के अनुरक्षण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।